3:07 62%
Vijay Tandey
PDF reader

कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर, छ0ग0

आदेश

बिलासपुर, दिनांक 21 / 03 / 2025

क्रमांक / 2325 / शिकायत–जांच / 2025

कलेक्टर बिलासपुर के टी0एल0क्र. 18768 दिनांक 10.03.2025 के माध्यम से शिकायतकर्ता श्रीमती निलम भारद्वाज, सहायक शिक्षिका एलबी.शा0प्रा0शा0औछिनापारा वि0ख0कोटा द्वारा प्रस्तुत, शिकायत उनके पति स्व0पुष्कर भारद्वाज, शिक्षक के मृत्यु उपरांत देय स्वत्वों के भुगतान न किये जाने व उनके एवज में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कोटा के लिपिक श्री एकादशी पोर्ते द्वारा रुपये 1 लाख 24 हजार की मांग किये जाने की जांच तीन सदस्यी टीम गठित कर करायी गई । जांच अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन क्र. 784 दिनांक 21.03.2025 द्वारा प्रकरण पर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अपने अभिमत में स्पष्ट करते हुए लेख किया है कि विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कोटा श्री विजय टाण्डे एवं लिपिक श्री एकादशी पोर्ते की मिली भगत से शिकायत दिनांक 07.03.2025 तक डेढ़ माह की विस्तारित अवधि तक मृत्य शिक्षक के परिवार राशि को रोककर रखना, संबंधित को भुगतान नहीं करना लेन देन की मंशा रखना एवं शिकायतकर्ता की शिकायत की पुष्टि करता है । प्रकरण की गंम्भीरता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण पर विभागीय जांच संस्थित किया जाना प्रस्तावित किया जाता है, एतद् द्वारा श्री विजय टाण्डेय, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कोटा को आगामी आदेश पर्यन्त कार्य संपादन हेतु प्राचार्य शा0हाई स्कूल खुरदूर वि0ख0कोटा में किया जाता है ।

कलेक्टर,
बिलासपुर छ0ग0

बिलासपुर, दिनांक 21 / 03 / 2025

पृ. क्र. / 2326 / शिकायत–जांच / 2025

प्रतिलिपि–

1/ संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
2/ संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
3/ जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यककार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
4/ प्राचार्य शा0हाई स्कूल खुरदूर वि0ख0कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4/ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7/ संबंधित श्री विजय टाण्डे, को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

कलेक्टर,
बिलासपुर छ0ग0